

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-971 / 2012

संस्थित दिनांक-29.11.2012

फाइलिंग क.234503001092012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1-राजेश्वर पिता केशोराव, उम्र-44 वर्ष, जाति कुनबी,  
निवासी-कम्पाउण्डरटोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2-फैयाज खान पिता इलियाज खान, उम्र-30 वर्ष, जाति मुसलमान,  
निवासी-वार्ड नंबर-7 बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3-पंकज यादव पिता प्रदीप यादव उम्र 27 वर्ष जाति अहीर  
निवासी कम्पाउण्डरटोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-23.01.2018 को घोषित)

1- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-11.10.2011 एवं दिनांक-12.10.2011 की दरमियानी रात में शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर अंतर्गत थाना बैहर में चोरी कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर के आधिपत्य की 1 नग रेल्वे लाइन धारवाली, एक लोहे की बेल्टिंग मशीन सिंगल फेस, एक लोहे का एनवील जो लोहा पीटने के काम आता है दो नग, चार नग लोहे की बाल्टी, तीन नग लोहे के बेंच, एक नग लोहे का घन, एक नग कार्बाइड(टंकी), एक नग 20 किलोग्राम का बांट जुमला कीमती 40,000/-रुपये को उक्त संस्था के प्रबंधक की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुंदरलाल ने एक लिखित आवेदन देकर दिनांक-27.09.2012 को पुलिस थाना बैहर में

रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। दिनांक-11.10.2011 एवं दिनांक 12.10.2011 की दरम्यानी रात में लोहारी व्यवसाय का ताला तोड़कर लोहे की सामग्री रेल्वे लाईन धार वाली एक नग कीमती 5000/- रुपये, एनविल निहाई 2 नग जिसमें एक हरा पेंट लगा था, एक एनविल पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में BARDHAN लिखा था, कीमती 8000/- रुपये, वेल्डिंग मशीन सिंगल फेस एक नग कलर पेंट लगा हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में POWER - 150-100-50 EARTH लिखा था कीमती 11,000/-रुपये, घन एक नग कीमती 500/- रुपये, बाल्टी लोहे की चार नग कीमती 1000/-रुपये, लोहा की बेंच 03 नग एक बड़ी एवं दो छोटी जिस पर हरा पेंट लगा था, कीमती 2000/- रुपये, कार्बाईड टंकी 01 नग कीमती 7000/-रुपये, किलो वाट 01 नग कीमती 1000/-रुपये कुल 40,000/-रुपये के अज्ञात चोर चोरी कर ले गये थे। जिनका आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-141/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3- अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-11.10.2011 एवं दिनांक-12.10.2011 की दरमियानी रात में शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर अंतर्गत थाना बैहर में चोरी कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर के आधिपत्य की 1 नग रेल्वे

लाइन धारवाली, एक लोहे की बेल्टिंग मशीन सिंगल फेस, एक लोहे का एनवील जो लोहा पीटने के काम आता है दो नग, चार नग लोहे की बाल्टी, तीन नग लोहे के बेंच, एक नग लोहे का घन, एक नग कार्बाइड(टंकी), एक नग 20 किलोग्राम का बांट जुमला कीमती 40,000/-रुपये को उक्त संस्था के प्रबंधक की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निराकरण :-

- 6- विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 एक दूसरे से संबंधित है। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7- सुन्दरलाल वासनिक अ.सा.4 का कथन है कि दिनांक-27.09.12 को वह प्रशिक्षक सिलाई के पद पर टी.सी.पी.सी. बैहर कार्यालय में पदस्थ था। कार्यालय से लोहे की सामग्री किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 के लिखित आवेदन के द्वारा की थी। रिपोर्ट के आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्रदर्श पी-9 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। पुलिस ने साक्षी के समक्ष प्रदर्श पी-7 अनुसार सुरेश सेंडे से लोहारी व्यवसाय के स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि जप्त की थी एवं साक्षी से लोहे के सामानों की शिनाख्ती करवाई थी, जिसमें साक्षी ने कार्यालय का सामान होना पहचाना था। शिनाख्ती में प्रदर्श पी-10 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि कृष्णा बाहेश्वर पार्षद से सामानों की शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी। घटना दो-तीन वर्ष पूर्व की होने के कारण साक्षी को पता नहीं होने के कारण साक्षी ने पुलिस के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही की जाने के बारे में बता दिया था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-11 का कथन दिया था। प्रदर्श पी-8 के रिपोर्ट के आवेदन में उल्लेखित सामान साक्षी के कार्यालय से चोरी हुआ था। प्रदर्श पी-8 के रिपोर्ट के आवेदन में उल्लेखित सामान उनकी पहचान सहित लिखकर पुलिस को आवेदन दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने उसके कार्यालय से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था।

8— जे.एल. वाघाड़े प्रधान आरक्षक अ.सा.6 ने दिनांक-27.09.12 को सुन्दरलाल वासनिक की मौखिक रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

9— लक्ष्मीचंद सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.5 का कथन है कि उन्होंने फरियादी के बताए अनुसार मौकानक्शा प्रदर्श पी-17 तैयार किया था। अभियुक्तगण से एक लाल कलर की लोहे की वेल्डिंग मशीन जिस पर पट्टी लगी हुई थी, जिसमें अंग्रेजी में पॉवर-150-100-50 लिखा हुआ था। गवाह दिनेश, सुमेरसिंह के समक्ष जप्त कर प्रदर्श पी-1 का जप्तीपंचनामा बनाया था। दो नग लोहे की एनविल जो लोहो पीटने के काम आता है, करीब एक क्विंटल, जिस पर अंग्रेजी के अक्षरों में बारदान लिखा है, उसे गवाह दिनेश, सुमेरसिंह के समक्ष जप्त कर प्रदर्श पी-2 का जप्तीपंचनामा एवं अभियुक्त फैयाज खान से दो नग लोहे की बाल्टी, तीन नग बेंच लोहे की, जिस पर हरा पेंट लगा था, एक लोहे का घन 10 कि.ग्रा. का गवाह दिनेश, सुमेरसिंह के समक्ष जप्त कर प्रदर्श पी-3 का जप्तीपत्रक बनाया था। अभियुक्तगण को प्रदर्श पी-4 लगा. 6 गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण का इस्तगासा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। साक्षी ने रोजनामचा सान्हा की नकल प्रदर्श पी-13 तैयार की थी। उक्त दिनांक को साक्षी जप्तशुदा सामग्री एवं अभियुक्तगण को थाना लेकर आया था। रोजनामचा सान्हा में वापसी 2:30 बजे लेख की थी। अभियुक्तगण का मेडिकल फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था, जो प्रदर्श पी-14 लगा. 16 है। साक्षी ने गवाह दिनेश, सुमेरसिंह के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को ही सुरेश, गणेश, सुन्दरलाल के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। साक्षी ने दिनांक-21.11.12 को जप्तशुदा माल की शिनाख्ती की कार्यवाही श्रीमती कृष्णा बाहेश्वर पार्षद से करवाई थी, जो प्रदर्श पी-10 है। शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर के लोहारी व्यवसाय में पदस्थ सुरेश शेन्डे द्वारा लोहारी स्टॉक रजिस्टर की दिनांक-12.10.12 को पृष्ठ क्र. 1 से 10 तक मुख्य पृष्ठ पर कजूस डेट स्टॉक रजिस्टर लोहारी व्यवसाय टी.सी.पी.सी. सभी पृष्ठों की छायाप्रति प्रबंधक शासकीय प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र बैहर जिला बालाघाट द्वारा सत्यापित थे, जो आर्टिकल ए-1 से ए-10 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रबंधक शासकीय प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र बैहर जिला बालाघाट के हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी-7 के जप्तपत्रक द्वारा गवाह सुन्दरलाल एवं सम्पतसिंह के समक्ष उक्त साक्षी द्वारा जप्त किये गए थे।



10— दिनेश अ.सा.1, सुमेरसिंह अ.सा.3 प्रदर्श पी-1 लगा. 3 के जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी-4 लगा. 6 के गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षीगण हैं। उक्त साक्षीगण ने जप्तीपंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, परंतु उक्त साक्षीगण ने जप्तीपंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही उनके सामने होने से इंकार किया है। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 लगा. 3 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 लगा. 6 के स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियुक्तगण से जप्ती की कार्यवाही एवं उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

11— सुरेश सेन्डे अ.सा.2 का कथन है कि वह दिनांक-11.10.11 को शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र बैहर में चतुर्थ श्रेणी टेक्निशियन कर्मचारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को लोहारी व्यवसाय में ताला लगाकर घर चला गया था, दूसरे दिन कार्यालय में आया था। लोहारी व्यवसाय का ताला टूटा हुआ था। अंदर रखा सामान बेल्डिंग मशीन, कार्बाइड टंकी, 20 किलो का लोहे का बाट, चार नग लोहे की बाल्टी, एक धार वाली पटरी, दो नग नेहाई, तीन नग लोहे की ब्रेंच इत्यादि सामान कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने साक्षी से स्टॉक रजिस्टर लोहारी व्यवसाय से संबंधित रजिस्टर की फोटोकॉपी आर्टिकल ए-1 लगा. ए-10 प्रदर्श पी-7 की जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी। आर्टिकल ए-1 लगा. ए-10 के ए से ए भाग पर शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन बैहर के प्रबंधक सुन्दरलाल वासनिक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोरी गये सामान के स्टॉक रजिस्टर से मिलान नहीं कराया गया था।

12— गणेश सिंघारे अ.सा.8 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को संस्था टी.सी.पी.सी. के कर्मचारी श्री आर.एस. पिछोड़े ने फोन कर बताया था कि संस्था में चोरी हो गई है। सूचना के बाद साक्षी घंसोर से वापस आया था। इसके बाद साक्षी ने पुलिस थाना बैहर में घटना की मौखिक सूचना दी थी। साक्षी को यह पता नहीं है कि पुलिसवालों ने घटना की सूचना दर्ज की थी या नहीं। घटना के बाद पुलिसवालों ने साक्षी को बुलवाया था। साक्षी से पुलिस ने घटना के संबंध में कोई बयान नहीं लिये थे।

13— सम्पत अ.सा.10 का कहना है कि उसके समक्ष अभियुक्त सुरेश से रजिस्टर की फोटोकॉपी पृष्ठ क्र. 1 से 10 प्रदर्श पी-7 के जप्तीपंचनामा द्वारा

जप्त की थी। पुलिस ने साक्षी को बताया था कि अभियुक्त सुरेश से जप्तीपंचनामा द्वारा सामान जप्त किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सुरेश से प्रदर्श पी-7 के जप्तीपंचनामा द्वारा जो रजिस्टर जप्त होना बताया गया है, वह किस व्यक्ति व किस विभाग से लाया गया था, साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने लक्ष्मीचंद चौधरी सहा.उप नि. के कहने पर प्रदर्श पी-7 के जप्तीपंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे।

14— कृष्णाबाई अ.सा.7 का कहना है कि दिनांक-21.11.12 को पुलिस थाना बैहर द्वारा अप.क. 141/12 में जप्त वस्तुओं की पहचान के संबंध में शिनाख्ती कार्यवाही के लिए उसे बुलाया था, तब साक्षी से लोहे का एंगल, लोहे की बाल्टी, लोहे की बेंच, लोहे के गन, लोहे के वेल्डिंग की शिनाख्ती चितरंजन हरदे एवं चंद्रकांत के समक्ष कराई गई थी। शिनाख्ती के समय पुलिसवालों ने सामान मिलाया था। सुन्दरलाल एवं सुरेश ने सामान को सही होना पहचाना था। साक्षी ने गवाह चितरंजन हरदे, चंद्रकांत के समक्ष प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती की कार्यवाही की थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

15— चितरंजन हरदे अ.सा.11 का कथन है कि घटना कब की है, उसे पता नहीं है। वह कृष्णा बाहेश्वर पार्षद के साथ थाना गया था। कृष्णा बाहेश्वर पहले से थाने के अंदर थी, उसके बाद साक्षी को बुलाया गया था। पुलिसवालों ने साक्षी के कागज में हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी ने पुलिसवालों से हस्ताक्षर के बारे में पूछा था तो पुलिसवालों ने बताया था कि वह पार्षद के साथ आया है, इसलिए हस्ताक्षर कराएं हैं। साक्षी के समक्ष सुरेश एवं फरियादी सुन्दरलाल से प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती में उल्लेखित सामानों की शिनाख्ती नहीं कराई गई थी। प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती कार्यवाही साक्षी के समक्ष नहीं हुई थी। साक्षी ने शिनाख्ती पंचनामे पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परंतु शिनाख्ती कार्यवाही उसके सामने होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

16— चंद्रकांत अ.सा.12 का कथन है कि वह अभियुक्तगण एवं फरियादी सुन्दरलाल, सुरेश को नहीं जानता है। साक्षी न्यायालयीन कथनों से पांच वर्ष पूर्व कृष्णाबाई पार्षद को बैहर थाने लेकर गया था। साक्षी ने थाने में जाकर कुछ नहीं देखा था। प्रदर्श पी-10 के शिनाख्ती मेमो पर साक्षी के हस्ताक्षर पुलिस ने थाने के अंदर करा लिये थे। साक्षी के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही

कोई शिनाख्ती कार्यवाही हुई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय थाने में कृष्णाबाई पार्षद एवं चितरंजन उपस्थित थे, उनके द्वारा साक्षी के सामने हस्ताक्षर किये गए थे, परंतु कृष्णाबाई एवं चितरंजन को कोई सामान नहीं दिखाया गया था।

17— आर.के. पाठक चिकित्सक अ.सा.9 का कथन है कि दिनांक-25.09.12 को उनके समक्ष अभियुक्तगण को मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया था, तब साक्षी ने अभियुक्तगण का मेडिकल परीक्षण किया था। मेडिकल परीक्षण में अभियुक्तगण को कोई चोट नहीं पाई थी। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 लगा. 16 है, जिन पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं।

18— अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने तर्क में यह बताया है कि प्रदर्श पी-9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक-11.10.2011 लिखी है एवं थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक-27.09.2012 लिखी है। घटना की रिपोर्ट घटना के लगभग एक वर्ष बाद लिखाई गई है। अभियुक्तगण ने प्रकरण की संपत्ति की चोरी नहीं की थी।

19— सुंदर वासनिक अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि चोरी की उन्हें जानकारी दिनांक-11.10.11 को हो गई थी। साक्षी द्वारा दिनांक-27.09.12 को थाने में लिखित रूप से रिपोर्ट की थी। लिखित आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पुनः प्रदर्श पी-8 का लिखित आवेदन पुलिस थाना बैहर में दिया था, परंतु उक्त प्रकरण में दिनांक-11.10.11 की रिपोर्ट का कोई लिखित आवेदन प्रकरण में संलग्न नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी लक्ष्मीचंद अ.सा.5 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह बताया है कि पुलिस थाना में घटना की सूचना प्राप्त होने की दिनांक-27.09.12 लिखा है, जो घटना के लगभग 11 माह बाद की है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के तुरंत बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। प्रकरण के फरियादी एवं जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में घटना के तुरंत बाद थाना बैहर में रिपोर्ट के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में विरोधाभास है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में प्रकरण की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष बाद लिखने के बारे में कोई कारण नहीं बताया है। प्रकरण में यदि घटना दिनांक का रिपोर्ट करने का आवेदन संलग्न होता तो यह विश्वास

करने का पर्याप्त आधार होता कि फरियादी ने घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, परंतु प्रकरण की घटना की रिपोर्ट के लिए घटना दिनांक को कोई आवेदन फरियादी ने दिया हो, वह प्रकरण में प्रस्तुत नहीं होने के कारण यह नहीं माना जाता है कि फरियादी ने घटना दिनांक को घटना की रिपोर्ट के लिए पुलिस थाना बैहर में आवेदन दिया था।

20— दिनेश अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों उसे एवं अभियुक्तगण को जबरन उठाकर ले गए थे। साक्षी ने पुलिसवालों ने यह कहा था कि वह भी अपराध स्वीकार करें नहीं तो उसके खिलाफ भी प्रकरण बनाएंगे। पुलिसवालों ने साक्षी को डरा-धमकाकर हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी के समक्ष पुलिस ने अभियुक्तगण से कोई सामान जप्त नहीं किया था एवं अभियुक्तगण को साक्षी के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था। सुमेरसिंह अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने दस्तावेजों में हस्ताक्षर थाने पर किये थे। जबकि प्रदर्श पी-1 लगा. 3 के जप्तीपंचनामा में अभियुक्तगण से संपत्ति जप्त करने का स्थान सिंघबाघ रोड फैय्याज खान के घर के सामने लिखा है। यह साक्षी होमगार्ड का सैनिक होकर जप्तीपंचनामा का साक्षी है। इसके उपरांत इस साक्षी की साक्ष्य में अभियुक्तगण से प्रकरण की संपत्ति किस स्थान पर जप्त हुई थी, इस संबंध में विरोधाभास है। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसके सामने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने अभियुक्तगण को कभी देखा तक नहीं है। साक्षी ने पुलिस के कहने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। जप्तीपंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने भी उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उन्होंने प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति किस स्थान पर जप्त की थी एवं अभियुक्तगण को किस स्थान पर गिरफ्तार किया था। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध दर्शित होती है।

21— कृष्णाबाई अ.सा.7 शिनाख्ती मेंमों की साक्षी है, परंतु उक्त साक्षी को यह पता नहीं है कि शिनाख्ती के दौरान कौन सा सामान था एवं कौन-कौन सी वस्तुएं मिलाई गई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि प्रदर्श पी-10 का शिनाख्ती मेंमों पुलिसवालों ने पहले ही तैयार कर लिया था, साक्षी ने



केवल उस पर हस्ताक्षर किये थे। शिनाख्ती मेमों साक्षी की हस्तलिपि में नहीं है। शिनाख्ती के समय मिलती-जुलती वस्तुएं नहीं मिलाई गई थी एवं वस्तुएं साक्षी को भी नहीं दिखाई गई थी। शिनाख्ती के समय पुलिसवाले भी उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती की कार्यवाही विधिवत् नहीं मानी जाती है। साक्षी की साक्ष्य के अनुसार शिनाख्ती मेमों पूर्व से बना हुआ था। साक्षी ने पुलिसवालों के कहने पर उस पर हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद साक्षी के साथ जाने वाले चितरंत हरदे एवं चंद्रकांत ने हस्ताक्षर किये थे। चितरंजन हरदे अ.सा. 11 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि कृष्णा बाहेश्वर के हस्ताक्षर के बाद चंद्रकांत बाहेश्वर एवं उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पुलिसवालों से पूछा था कि उसके हस्ताक्षर क्यों कराए हैं। पुलिसवालों ने कहा था कि पार्षद के साथ आए हो इस कारण हस्ताक्षर कराए हैं। साक्षी ने प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती कार्यवाही उसके सामने होने से इंकार किया है। चंद्रकांत अ.सा.12 ने भी उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि उसने प्रदर्श पी-10 के शिनाख्ती मेमों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पुलिसवालों से पूछा था कि हस्ताक्षर क्यों करा रहे हो। पुलिसवालों ने कहा था कि उसका नाम बाद में काट देंगे। इस साक्षी ने भी यह बताया है कि प्रदर्श पी-10 के शिनाख्ती मेमों में उल्लेखित सामान साक्षी को नहीं दिखाया था एवं सामानों से मिलता-जुलता कोई दूसरा सामान भी नहीं मिलाया था। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा कराई गई प्रदर्श पी-10 की शिनाख्ती की कार्यवाही विधिवत् नहीं मानी जाती है।

22— प्रकरण में कृष्णाबाई अ.सा.7, चितरंजन हरदे अ.सा.11, चंद्रकांत अ.सा.12 की साक्ष्य से शिनाख्ती की कार्यवाही का समर्थन होना नहीं माना जाता है। प्रकरण के जप्तीपंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है एवं शिनाख्ती पंचनामा की कार्यवाही के साक्षीगण ने शिनाख्ती पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के एक वर्ष बाद लिखी गई है, इसका अभियोजन पक्ष की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23— अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24— अभियुक्तगण का धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

25— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आवेदक की सुपुर्दगी पर हैं, सुपुर्दगीनामा अपील अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित मेरे निर्देश पर टंकित किया।  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित  
किया गया।

(दिलीप सिंह)

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)